



## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

दिनांक : 21 अप्रैल 2026

पत्रांक : 734 / 26 / लो0नि0वि0 / निर्माण खण्ड / सत्यापन / 2026-27

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों के लिए लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुरूप बी0 आर0 मेमोरियल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल न्याय नगर, कन्धईपुर धूमनगंज, जनपद-प्रयागराज। का दिनांक : 16.04.2026 को अवर अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया गया। वर्तमान में विद्यालय में प्रस्तुत किये गये मानचित्र के अनुसार भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल का निर्माण हुआ है। निरीक्षण के समय अग्नि सुरक्षा हेतु अग्निशमन कार्यालय प्रयागराज द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।

विद्यालय का निर्मित भवन वर्तमान में संतोषजनक स्थिति में है तथा उपयोग हेतु सुरक्षित है।

उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1528/79-06.-2008 दिनांक : 20.07.2009 के अनुसार निम्न दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

1. विद्यालय के स्टाफ तथा शिक्षकों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों के लिए प्रशिक्षित किये जाय।
2. समय-समय पर विद्यालय के भवनों की मजबूती की समीक्षा सुनिश्चित की जाय।

दिनांक : 21.04.2026

*P. K. Rai*

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0

प्रयागराज।

नि0ख0 लो0नि0वि0  
प्रयागराज



**विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट**  
**सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा 1 से 12) हेतु चेकलिस्ट**

| क्र०सं० | सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु                                                                                                  | जांच आख्या |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1       | क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?                                                              | हाँ        |
| 2       | क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्रधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?                                                       | नहीं       |
| 3       | क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?                                                                                             | नहीं       |
| 4       | क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्ग मी०) है?                                                       | नहीं       |
| 5       | क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?                                                                                    | हाँ        |
| 6       | क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?                                     | हाँ/नहीं   |
| 7       | क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?                                                              | हाँ        |
| 8       | क्या मुख्या पहुँच मार्ग की (Approach Road) चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?                                                            | हाँ        |
| 9       | क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?                    | हाँ        |
| 10      | क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?                                                                    | हाँ        |
| 11      | क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?                                                                                          | नहीं       |
| 12      | क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?                                           | हाँ        |
| 13      | क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार बाउण्ड्रीवाल की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?                                        | हाँ        |
| 14      | क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है? | हाँ        |
| 15      | क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?                                                                                            | हाँ        |
| 16      | क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी० है?                                                            | हाँ        |
| 17      | क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?                                     | हाँ        |
| 18      | क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?                    | हाँ        |
| 19      | क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler)                           | हाँ        |



|    |                                                                                                    |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | <b>System)</b> उचित स्थान पर लगे हैं?                                                              |     |
| 20 | क्या भवन में फस्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid fire fighting appliances) की व्यवस्था है? | हाँ |
| 21 | क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया?                  | हाँ |
| 22 | क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First aid box )स्थापित है?              | हाँ |

P.K. Rai

सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि० वि०  
प्रयागराज। नि०ख० लो०नि० वि०  
प्रयागराज

